279. एस० सशि
280. डी० भंडारी
281. आर० सिंह
282. पी० चन्द
283. टी० सिंह
284. अमोल कुमार
285. ए० सिंह
286. डी० दत्त
287. एस० सिंह
288. जी० लाल
289. एम० चन्द
290. आर० एस० रावत
291. डी० सिंह
292. एम० पॉल
293. एम० सिंह
294. काली चरण
295. डी० सिंह
296. पी० बाला
297. पी० दास
298. एम० एस० नन्द
299. एम० लाल
300. ए० वेनूगोपालन
301. डी० एस० रावत
302. डी० के० खाण्डपाल
303. एस० पी० भटनागर

सांसदों के पत्रों का निपटान

1782. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री नागमणि:

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अधिकारियों के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है जो सांसदों के पत्रों के निपटान के संबंध में कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के पैरा 57 और 60 में अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण नहीं करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के पैरा 57 और 60 में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धातों का अनुपालन करें। इस पद्धति का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर तत्काल देने के संबंध में अनुदेश जारी किये हैं और मंत्रालयों/विभागों से यह ध्यान रखने के लिए कहा है कि इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। उनसे एक निगरानी प्रणाली भी तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद सदस्यों को कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के पैरा 122 में की गई व्यवस्था के अनुसार तत्काल उत्तर भेजे जा रहे हैं।

Discretionary Powers of Director-General of NIRD

1783. DR. GOPAL RAO VITHALRAO PATIL: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) what are the discretionary powers given by the Executive Council or the General Council of the National Institute of Rural Development, Hyderabad or the Ministry to the Director-General of Institute;

(b) what are the discretionary powers used by Director-General of the Institute from January 1995 to July 1996, particularly regarding providing rent-free accommodation, allotment of big houses, allotment of officials car (full time), STD, ISD, etc., to Registrar, denying the facilities to senior officers and Directors, not based on laid-down procedures and rules; and

(c) whether Government propose to review the discretionary powers of the Director-General of NIRD and its wrongful application, especially in the case of Registrar, as being against the rules?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) to